न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निग/एलआर/5908/2004/कोटा

1 दुर्गासिंह पुत्र शंकरसिंह
2 भैरूसिंह पुत्र शंकरसिंह
3 अर्जुनसिंह पुत्र शंकरसिंह
4 उच्छब कवंर बेवा शंकरसिंह सभी जाति राजपूत निवासी नौटान तहसील लाडपुरा जिला कोटा

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा कोटा

प्रत्यर्थी

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री अशोक अग्रवाल वकील अपीलार्थी
श्री सत्यनारायण सोलंकी उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः.8.6.2018

यह निगरानी धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जिलाधीश कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.7.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रार्थीगण ने जिला कलक्टर, कोटा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा में सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 55 रकबा 32 बीघा एवं खसरा नम्बर 118 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज थी। भू प्रबन्ध के बाद गत खसरा नम्बर 55 रकबा 32 बीघा के नये खसरा नम्बर 190 रकबा 4.32 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 118 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 361 रकबा 1.66 हेक्टर दर्ज किये गये। पुराने रकबे के अनुसार खसरा नम्बर 190 का रकबा 5.18 हेक्टर व खसरा नम्बर 361 का रकबा 1.86 हेक्टर दर्ज किया जाना चाहिये था। खसरा नम्बर 190 में 0.86 हेक्टर रकबा एवं खसरा नम्बर 361 में 0.20 हेक्टर रकबा कम दर्ज किया गया है जो दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17.2.2003 से

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर खसरा नम्बर 190 का केचमेन्ट हो चुका होने से केचमेन्ट बाद के खसरा नम्बर 42 रकबा 4.5 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 725 रकबा 0.27 हेक्टर बने मानते हुए खसरा नम्बर 725 का रकबा 0.27 हेक्टर सिवायक से प्रार्थीगण के खातदोर दर्ज करने का आदेश दिया एवं खसरा नम्बर 361 के पास कोई सिवायचक भूमि नहीं है तथा खसरा नम्बर 362 लगता हुआ खसरा नम्बर है जो खातेदारी का है। जिससे खसरा नम्बर 725 का रकबा 0.27 हेक्टर को प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया। इसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने नजरसानी प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26.7.2004 से नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में खसरा नम्बर 118 जिसके नये खसरा नम्बर 361 बने है, का भी रकबा 0.19 हेक्टर कम होने पर पूर्ति करने का निवेदन किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया एवं इस खसरा नम्बर बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर हाल खसरा नम्बर 190 का रकबा तो पूरा कर दिया परन्तु खसरा नम्बर 361 के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जबकि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 363 में से रकबा लेकर खसरा नम्बर 361 का रकबा साबिक के मुकाबले हाल में पूरा किया जा सकता है। यह पत्रावली को देखने से ही प्रकट होने वाली त्रुटि है जिसे दुरूस्त किया जा सकता है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि नजरसानी का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। निर्णय में एरर अपेरेन्ट आन दी फेस आफ रेकार्ड होने पर ही नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई एरर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 190 का रकबा सिवायचक रकबा उपलब्ध होने से पूरा कर दिया परन्तु खसरा नम्बर 361 के पास में खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 362 होने से धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आदेश नहीं दिया जा सकता, मानकर प्रार्थना पत्र धारा 136 का निर्णय किया है जो न्यायोचित है। अतः यह निगरानी खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 17.2.2003 में नये खसरा नम्बर 190 का केचमेन्ट हो जाने पर खसरा नम्बर 42 रकबा 4.5 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 725 रकबा 0.27 हेक्टर बनना माना है तथा खसरा नम्बर 725 सिवायचक दर्ज होने से इसका रकबा 0.27 हेक्टर को प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज करने का आदेश देकर इस खसरा नम्बर 190 का रकबा पूरा किया है। परन्तु खसरा नम्बर 361 के बारे में यह मत व्यक्त किया है कि इस खसरा नम्बर से लगती हुई खसरा नम्बर 362 है जो खातेदारी की भूमि है, सिवायचक भूमि नहीं है जिससे इस कार्यवाही (धारा 136 राज0 भू राजस्व अधि0) के अन्तर्गत खसरा नम्बर 361 का रकबा पूरा नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस खसरा नम्बर से लगता हुआ सिवायचक रकबा नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त आदेश के विरूद्व नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्णय में एरर अपरेन्ट आन दी फेस आफ रेकार्ड बताते हुए तर्क दिया है कि खसरा नम्बर 363 सिवायचक रकबा है जिसमें से पूर्ति की जा सकती है, मानने योग्य नहीं है क्योंकि नजरसानी के माध्यम से अपीलीय न्यायालय की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता। पत्रावली पर ऐसी भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि साबिक खसरा नम्बर 118 का रकबा हाल खसरा नम्बर 361 के साथ साथ खसरा नम्बर 363 में मिलाया गया हो।

नजरसानी का क्षेत्र बहुत ही सीमित होने तथा जिन तथ्यों पर एक बार विचार किया जा चुका हो उन पर नजरसानी के माध्यम से पुनः विचार नहीं किया जा सकता। नजरसानी के माध्यम से अपीलीय न्यायालय की तरह भी व्यवहार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य निर्णय में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं पाते हैं एवं यह निगरानी खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी खारिज की जाती है एवं जिला कलक्टर, कोटा का निर्णय दिनांक 26.7.2004 यथाावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य